सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

की अनुदान मांगों

पर

वित्त संबंधी

स्थायी समिति की 33वीं रिपोर्ट में

निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर

की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई पर

रिपोर्ट

संदर्भ.सांख्यिकीऔरकार्यक्रमकार्यान्वयनमंत्रालयकेका.ज्ञा.संख्याजी-20017/2/2016-बीएंडएफ, दिनांक 22 जुलाई, 2016

वित्त संबंधी स्थायीसमितिकी 33वींरिपोर्टमें
निहितसिफारिशों/टिप्पणियोंपरकीगईकार्रवाई/
प्रस्तावितकार्रवाईकीरिपोर्ट

टिप्पणी/ सिफारिश सं.	मद	पृष्ठ सं.
I	बजटआबंटन	1-2
II	भारतीयसांख्यिकीसंस्थानकोनिधिआबंटन	3-4
III	आबंटितनिधिकीबचतेंतथाअभ्यर्पितराशियां	5-6
IV	योजनाआबंटनतथावास्तविकखर्चेमेंअसमानता	7
V	सीएसओकेजीडीपीआँकडे	8-9
VI	एनएससीकीसिफारिशोंकाकार्यान्वयन	10-11
VII	एसएसएसकैडरमेंश्रमशक्तिकीकमी	12-13
VIII	आर्थिकगणनाकेआबंटनमेंकमी	14
IX	केंद्रीयक्षेत्रकीआधारभूतपरियोजनाओंकाअनुवीक्षण	15-16
X	एमपीलैड्सकेदिशानिर्देशोंमेंबारंबारबदलाव	17-19

संदर्भ.सांख्यिकीऔरकार्यक्रमकार्यान्वयनमंत्रालयकेका.ज्ञा.संख्याजी-20017/2/2016-बीएंडएफ, दिनांक 22 जुलाई, 2016

वित्त संबंधी स्थायी समिति की 33वीं रिपोर्ट में विहित अनुशंसाओं/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

अनुशंसाएं/टिप्पणियां

1. समिति ने पाया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एमपीलैड्स) का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय वर्ष 2014-15 के लिए क्रमशः 52,800 करोड़, 30932 करोड़ तथा 26,680.32करोड़ रूपए था जबकि वर्ष 2015-16 के लिए तदनुरूपी आंकड़े 40,250 रूपए (पिछले वर्ष से 23.8% की कमी), 20,004 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष से35.3% की कमी), 12,953.31 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष से 51.4% की कमी), (दिसंबर,2015 तक के आंकड़े) हैं । इसके अलावा, वर्ष 2016-17 के लिए आबंटन कुल25,000 करोड़ रूपए (ब.अ.)है, जिसमें 37.9% की कमी आई है, जबकि एमपीलैड्स सहित कुल योजना में 3.5% तक की कमी आई है । यह देश में सांख्यिकीय प्रणाली के योजनाबद्ध विकास, सांख्यिकी के क्षेत्र में मानदंडों और मानकों के निर्धारण और रख-रखाव हेतु नोडल मंत्रालय है तथा इसमें सांख्यिकी की अवधारणाएं और परिभाषाएं, आंकड़ा संग्रहण की कार्यप्रणाली, आंकड़ों के विधायन और परिणामों का प्रसार शामिल है । यह न केवल भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा अर्थ सांख्यिकी निदेशालयों के संबंध में सांख्यिकीय कार्य का समन्वय करता है बल्कि सांख्यिकीय कार्य प्रणाली तथा आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण पर उन्हें सलाह भी देता है । बड़े स्तर पर अखिल भारत प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करता है, सरकारी, अर्धसरकारी निजी प्रयोक्ताओं/एजेंसियों/यूएनएसडी, ईएससीएपी, आईएलओ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनेक प्रकाशरनों के माध्यम से विभिन्न घटकों पर सांख्यिकीय सूचना का प्रसारण करता है । इसके अलावा, मंत्रालय सरकार की अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है । समिति को विदित है कि संबंधित प्रौद्योगिकी और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में, मंत्रालय की भूमिका वैज्ञानिक प्रतिचयन पद्धतियों, कवरेज और प्रौद्योगिकी के उपयोग से आयोजित किए गए सर्वेक्षणों, जारी सांख्यिकी गुणवत्ता, सांख्यिकी के संकलन से संबंधित कार्यप्रणालीगत मुद्दों तथा इसकी व्यापक संवीक्षा के संबंध में और अधिक महत्वपूर्ण है । तथापि समिति यह देखकर आश्चर्य चकित है कि मंत्रालय के बजट विशेषकर योजना बजट (एमपीलैड्स छोड़कर) में प्रत्येक वर्ष कटौती की जा रही है,

उन्होंने इच्छा जताई कि आयोग प्रमाणित आंकड़ा आधार की संबंधित भूमिका वाला वर्तमान आर्थिक परिदृश्य, समर्पित प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षण, विश्लेषण, व्याख्या तथा आकड़ों के प्रसारण में, मंत्रालय कोऔर अधिक निधि आबंटित की जाए । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को इस संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ मामले को उठाना चाहिए ।

उत्तरः

मंत्रालय की इस समय दो योजना स्कीम अर्थात् क्षमता विकास और आईएसआई (एमपीलैड्स को छोड़कर) का सहायतानुदान प्राप्त हैं । आईएसआई को इस वित्तीय वर्ष में 80 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं । संस्थान को क्रिप्टोलॉजी एण्ड सिक्यूरिटी के लिए आर.सी. बोस सेन्टर की स्थापना, चेन्नई और तेजपुर केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण,आदिजैसे अनेक कार्यकलाप प्रारंभ करने हैं । व्यय की गति केअनुसार, अतिरिक्त निधि के लिए आर.ई. चरण पर वित्त मंत्रालय सेसिफारिश की जाएगी । मंत्रालय क्षमता विकास योजनाके अंतर्गत कई सर्वेक्षण और सांख्यिकी कार्यकलाप शुरू करने की योजना बना रहा है, जैसे कि वार्षिक सेवा क्षेत्र के सर्वेक्षण, समय उपयोग सर्वेक्षण, राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक का विकास, राष्ट्रीय लेखाओं का आधुनिकीकरण औरगैर-लाभ वाली संस्थाओं के सैटेलाइट एकाउन्टस तैयारकरना,पूर्वोत्तर राज्यों में एनएसएसओ के नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलना, आदि ।साथ ही, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से आंकड़ों के स्रोत (तों), अवधि, पृथक्कीकरण स्तर तथा आंकड़ा संग्रहण के तरीकों के साथ एसडीजी के अंतर्गत राष्ट्र के प्रत्येक स्वीकृत लक्ष्य के लिए उचित राष्ट्रीय संकेतकों का पता लगाने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सामंजस्य स्थापित करके कार्य करने की अपेक्षा है । इसके अलावा, राज्य के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालयों को भी विश्वसनीय और समस्त राष्ट्र के तुलनीय आंकड़ों के संग्रहण में आंकड़ा संग्रहण प्रणालियाँ बनाने की दिशा में क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकताएं तय करने में शामिल किया जाना है । निधि की जरूरत का अनुमान लगाने के उपरान्त, वित्त मंत्रालय इसमें प्रावधान हेतु सिफारिश करेगा ।

2. **समिति नोट करती है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय संस्थान है, के लिए 2015-16 में 290.17% करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था । तथापि, संशोधित प्राक्कलन चरण के दौरान, आश्चर्यजनक रूप से इस आबंटन कोकम करके 214.67 करोड़ रूपए संशोधित किया गया । अब, वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन में पुनः, आबंटन को 252.8 करोड़ रूपए किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट प्राक्कलन की तुलना में काफी कम है । मंत्रालय के अनुसार, संशोधित प्राक्कलन स्तर पर आबंटन को घटाना पड़ा, क्योंकि नए केन्द्रों के लिए शीर्ष कार्य प्रारंभ नहीं किए जा सके तथा इस प्रकार किया गया व्यय कम रहा, इसलिए आबंटित निधि त्यागने के लिए मंत्रालय को बाध्य होना पड़ा । इस वर्ष मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि संस्थान अपने सभी शीर्ष कार्यों को प्रारंभ करने में समर्थ होगा तथा इस प्रकार, अपना बजटीय आबंटन उपयोग करने में समर्थ होगा । समिति अब मंत्रालय से तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान से पूंजी व्यय हेतु बजटीय आबंटनों के उपयोग पर कम-से-कम इस वर्ष अपने आश्वासनों को पूरा करने की आशा करेगी, जो नए केन्द्रों को विकसित करने तथा अपने मौजूदा केन्द्रों को सुदृढ़ करने में उन्हें समर्थ बनाएगा ।इस संदर्भ में श्रेष्ठ मानकों का स्तर कम किए बिना देश में और अधिक एवेन्यू तथा केन्द्रों तक अपनी पहुंच का विस्तार करते हुए, समिति भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अकादमिक और अनुसंधान कार्यकलापों, दोनों में सक्रिय कार्य के लिए आशा करेगी । कोलकाता में संस्थान की अवसंरचना में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि किए जाने की जरूरत है । समिति ने डॉ. पी.वी. महालनोबिस जैसे इसके फाउन्डरों की कल्पनाओं के संगत संस्थान को नवीन बनाने तथा श्रेष्ठ संख्या के रूप में इसे विकसित करने तथा अन्तर-राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए अर्थशास्त्रियों/शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय इनटेक की अनुशंसा की ।**

उत्तरः

<u>बजट आबंटनः</u>

2015-16 में व्यय कम था, चूंकि स्कीम के मूल्यांकनके लिए ईएफसी की बैठक माह फरवरी,2016 में ही हो सकी । सभी पूंजीगत कार्यों को शुरू करने के लिए समग्र प्रयास किए जा

रहे हैं । संस्थान ने इसके मुख्यालयों और कोलकाता, बंगलौर, चेन्नई तथा तेजपुर स्थित केन्द्रों पर अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए निधियां निर्धारित की हैं तथा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं को नामित किया गया है । कोलकाता में विभिन्न अवसंरचना कार्यों के लिए मैसर्स ब्रिज एंड रूफ को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता का कार्य सौंपा गया है । प्रारंभिक अनुमानों और कार्य के दायरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियां

संस्थान अपनी शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है ।अपनी परंपरा को कायम रखते हुए संस्थान ने विश्व शैक्षणिक क्षेत्र में स्थान बनाए रखने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं के लिए मानव संसाधनों की पहचान परविशेष बल दिया है । उच्च कुशल, उत्साहित और ज्ञान से ओत-प्रोत मानव शक्ति के विकास के लिए नए अध्यापन कार्यक्रम अभिकल्पित किए जा रहे हैं । संस्थान के संकाय ने भी देश की सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं के अनुसार महत्वपूर्ण परियोजनाएं अभिकल्पित की हैं । संस्थान में आधारी और अनुप्रयोगिक विज्ञान में अनुसंधान कार्य जोरों पर चल रहा है ।

3. समिति नोट करती है कि मंत्रालय की मांग सं.85 के अंतर्गत निरंतर एक बड़ा भाग,2012-13 में 46,888.48 लाख रू.,2013-14 में 10830.89 लाख रू. और इससे भी अधिक 2014-15 में 85509.65 लाख रू. "बचत" में गया है । इस प्रकार की बड़ी "बचत" जिसके परिणामस्वरूप आबंटित निधियों को वापस लौटाया गया, के मुख्य कारण (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (एसएसपी) के लिए सहायता के क्रियान्वयन में विलंब (ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्कीमों के मूल्यांकन और अनुमोदन में विलंब, और (ग) एमपीलैड्स के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र, लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र आदि जैसे अपेक्षित दस्तावेजों का समय पर प्राप्तन होना, जिसके कारण जिला प्राधिकरणों को निधियां जारी करने में विलंब हुआ । इस प्रकार समिति यह देखने को बाध्य है कि बजटीय निधियों की इतने बड़े पैमाने पर 'वापसी' आयोजना,निम्न क्रियान्वयन प्रक्रिया, तथा मंत्रालय की क्षमता स्तर का कमजोर प्रतिबिंब दर्शाती है । निःसंदेह दूरदर्शिताकी कमी की वजह से मंत्रालय अपने बजटीय आबंटनों की निर्धारित समयावधि के भीतर उचित रूप से उपयोग करने और समाप्त करने में असमर्थ है । इसलिए समिति मंत्रालय की संपूर्ण कार्यप्रणाली की व्यापक समीक्षा की सिफारिश करतीहै जिसमें ध्यान देने योग्य क्षेत्रों, राज्यों को शीघ्र कार्यान्वयन तथा संबंधित दस्तावेज की समय पर प्रस्तुति को संबोधित किया जाए,ताकि राष्ट्रीय सांख्यिकी के संग्रहण और विश्वसनीयता के मामले में इसके अधिदेश का अधिक लाभकारी परिणामों के साथ बेहतर ढंग से निर्वहन हो सके ।

उत्तरः

सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता के क्रियान्वयन के संबंध में कथन है कि 2014-15 में क्रियान्वयन और निधियों के उपयोग के मामले में स्कीम की धीमी प्रगति को देखते हुए स्कीम का एक मुख्य पुनरीक्षा/पुनर्विचार अभ्यास किया गया था । इसके पश्चात संशोधित समझौता ज्ञापन तैयार होने, अनुमोदित होने के बाद ही निधियां जारी की जानी थी । यह मार्च,2015 में हो सका तथा तीन राज्यों को 15 करोड़ रू. जारी किए जा चुके थे । और अधिक निधियां जारी की जा सकती थी लेकिन यहइस शर्त की वजह से नहीं हो सका कि मार्च माह में संशोधित अनुमानों का 15% से अधिक जारी नहीं किया जा सकता । वर्ष 2015-16 में प्रक्रिया को आगे

बढ़ाया गया तथा राज्यों के साथ उचित अनुमान और नियोजन, प्रस्तावों को गति प्रदान करने, आदि के कारण 40 करोड़ रू. (संशोधित अनुमान) की आबंटित धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया । खर्च न की गई राशि शून्य थी । इसी प्रकार से 2016-17 में बजट अनुमान में 30 करोड़ रू. के आबंटन का पूर्ण उपयोग संभावित है ।

इसके अलावा एमपीलैड्स के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रालय एमपीलैड्स निधियों की लंबित किश्तों को जारी करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों अर्थात् लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र, उपयोगिता प्रमाण-पत्र और मासिक प्रगति रिपोर्ट की यथासमय प्रस्तुतिकोशीघ्रता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्राधिकरणों और संबंधित राज्य नोडल विभागों के साथ नियमित तौर पर सक्रिय रूप से संपर्क में रहता है । पात्र दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलंब संबंधी मामले को एमपीलैड्स की पुनरीक्षा बैठकों में राज्य सरकारोंके प्रतिनिधियों के साथ भी उठाया जाता है । अपेक्षित दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति के उपरांत तत्काल निधियां जारी की जाती है ।

4. समिति इस बात पर असंतोष प्रकट करती है कि केन्द्रीय सांख्यिकीयकार्यालय के मामले में योजना आबंटन और वास्तविक व्यय के बीच नियमित आधार पर काफी बड़ा अंतराल है । संगठन के लिए 2013-14 में योजना बजट अनुमान 141.29 करोड़रू.थापर जिसे संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 121.23 करोड़ रू. किया गया था । वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय केवल 92.69 करोड़ रू. था । इसी प्रकार से 2014-15 में योजना बजट अनुमान के स्तर पर इसे घटाकर100.37 करोड़ रू. कर दिया गया था जबकि वास्तविक व्यय केवल 83.92 करोड़ रू. था । यही कहानी 2015-16मेंभी दोहराई गई थी जिसमें योजना बजट अनुमान 118.86 करोड़ रू. था जिसे घटाकर 86.16 करोड़ रू. कर दिया गया था तथा दिसंबर,2015 तक वास्तविक व्यय केवल 58.43 करोड़ रू. था । कमउपयोग की यह प्रवृति महत्वपूर्णसूचना प्रौद्योगिकी शीर्ष के अंतर्गतभी देखी गई है । समिति इस प्रकार से संशोधित अनुमान स्तर पर आबंटनों को निरंतर कम करने तथा वर्ष-दर-वर्ष इस प्रकार कम किए गए आबंटनों को भी पूर्ण रूप से उपयोग करने में असफल रहने को दृढ़ता से अस्वीकार करती है । समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय/संगठन अपने बजट प्रतिपादनमें उचित सावधानी बरते तथा यह भी सुनिश्चित करे कि आबंटन युक्तियुक्त ढंग से किए गए हों । समिति इस बात पर जोर देती है कि आबंटनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए ।

उत्तरः

क्षमता विकास स्कीम के अंतर्गत मार्च,2016 तक व्यय 93.96 करोड़रू. था जो कि वर्ष 2015-16 केसंशोधित अनुमानका 97.18% था । समिति द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार 2016-17 में निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं ।

5. **समिति ने यह पाया कि केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम आंकड़े देश की आर्थिक गतिविधियों के संबंध में उत्तर और आदान उपलब्ध कराने के स्थान पर प्रश्नचिह्न अधिक उठा रहे हैं । यह मुनाफे और ऋण वृद्धि के रूप में वास्तविक आर्थिक गतिविधियों की पुष्टि करने के लिए प्रतीत नहीं होता । नई कार्यप्रणाली जिसमें प्रत्यक्ष करों के घटक शामिल हैं, बढ़े हुए उत्पादन के स्थान पर केवल बढ़े हुए सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े ही दर्शाती है । कुछ क्षेत्रों में मंदी और गिरावट का सामना करते हुए सुदृढ़ वृद्धि अनुमान विभिन्न आर्थिक उपायों जैसे सकल घरेलू उत्पाद के लिए एकत्र किए गए सांख्यिकीय आंकड़ों की विश्वसनीयता और साख भी एक चिंता का विषय रहा है;एक मुद्दा जो भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर सहित कई अर्थशास्त्रियों द्वारा उठाया गया मुद्दा है । उनके द्वारा यह बताया गया है कि सांख्यिकीय आंकड़ों की विश्वसनीयता पर विचार तभी किया जा सकता है यदि वे पर्याप्त और निष्पक्ष रूप से एक गतिविधि के सकल आर्थिक प्रभाव को पकड़ने में सक्षम हो । ऐसेप्रणालीतंत्रविकसितकरकेजो,समग्रविकासआंकड़ोंकोबढ़ाचढ़ाकरपरियोजनाकासुंदर-चित्रप्रस्तुतकरे,सेनिश्चितहीउद्देश्यहासिलनहींहोगा।इसलिएयहआवश्यकहै,किसभीशंकाओंवप्रणालीतंत्रसंबंधीसंदेहोंकापहलेहीनिराकरणकरलियाजाएऔरअधिकवास्तविकपरिकलनपद्धतियाँअपनाईजाएंताकिसरकारीसांख्यिकीकीविश्वसनीयताबनीरहे।यहसुझावदियाजाताहैकिप्रबुद्धअर्थशास्त्रियोंकीउच्चस्तरीयसमितिका गठनकियाजाए।**

जो,विश्वअर्थव्यवस्थामेंअपनाईजारहीपद्धतियोंकोध्यानमेंरखतेहुएइसपूरेमामलेपरविचारकरकेएकस्वीकार्यप्रणालीतंत्रकागठनकरे।इससेप्रणालीतंत्रपरविवादसमाप्तहोजाएगा।

उत्तरः

सांख्यिकीऔरकार्यक्रमकार्यान्वयनमंत्रालयमेंराष्ट्रीयलेखापरसलाहकारसमितिकेरूपमेंएकनियमितसलाहकारतंत्रहैजिसमेंप्रबुद्धअर्थशास्त्री,सांख्यिकीविद्औरअन्यविशेषज्ञहैंजोइसमामलेमेंदेखतेहैंऔरराष्ट्रीयलेखोंकेसमायोजनऔरप्रस्तुतिकरणहेतुसभीप्रणालीगतपहलुओंपरसुझावदेतेहैं।समितिद्वाराअनुमोदितप्रणालीतंत्रकाउपयोगराष्ट्रीयलेखोंकेआधारसंशोधनकीप्रक्रियामेंआधारवर्ष 2011-12 सेराष्ट्रीयलेखोंकोसमायोजितकरनेऔरप्रस्तुतकरनेमेंप्रयुक्तकियागयाहै।आधारवर्ष 2011-12

केसाथराष्ट्रीयलेखाकीनईश्रंखलामेंकार्यान्वयनकेलियेपरिवर्तितप्रणालीतंत्रऔरआंकड़ास्रोतोंकापुनरीक्षणकि यागयाऔरराष्ट्रीयलेखातथाराष्ट्रीयसांख्यिकीआयोगकीसलाहकारसमितिकीदिनांक 19.01.2015 कोआयोजितसंयुक्तबैठकमेंइसकापुनरीक्षणकरअंतिमरूपदियागया।राष्ट्रीयसलाकारसमितिऔरराष्ट्रीयसां ख्यिकीआयोगहालहीमेंपुनर्गठितहुएहैं।जिनकेअध्यक्षतथासदस्यप्रबुद्धसांख्यिकीविदऔरअर्थशास्त्रीहैं।इन सलाहकारव्यवस्थाओंकेआलोकमेंप्रबुद्धअर्थशास्त्रियोंकीएकऔरसमितिगठितकरनासम्भवतया,आवश्यक नहीं,जैसाकिवित्तस्थायीसमितिद्वाराअनुशंसाकीगईहै।

6. डा. सी.रंगराजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) ने नीति निर्धारण के लिए सामयिक और भरोसेमंद सांख्यिकी तैयार करने और प्रशासनिक ढांचे के विभिन्न स्तरोंपर योजना तैयार करने के लिए देश में सांख्यिकीय प्रणाली की न्यूनताओं में सुधार लाने और कमियों को दूर करने के लिए उपायों की सिफारिश की थी । समिति को यह सूचित कर दिया गया है कि चूंकि कुछ सिफारिशों को लागू किया गया है, उनमें से अधिकांश अभी भी कागजों पर ही रह गई हैं । 12वीं पंचवर्षीय योजना में "क्षमता विकास" समग्र प्लान योजना एनएससी की सिफारिशों को एक मजबूत रूप देने के दृष्टिकोण से तैयार की गई थी । तथापि, समिति ने यह पाया कि वर्ष 2016-17 से, केंद्रीय प्रायोजित योजना, नामत: सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण और आर्थिक जनगणना के लिए सहायता को केंद्रीय क्षेत्र की योजना "क्षमता विकास" में सम्मिलित कर लिया गया था । यहां तक कि मौजूदा युक्तिसंगत संरचना के तहत समिति मंत्रालय से एनएससी की सिफारिशों को सांख्यिकीय क्षमता में सुधार लाने तथा राज्य स्तर पर सांख्यिकीय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण राज्य और उप-राज्य दोनों स्तरों पर विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़ों के एकत्रीकरण, संकलन तथा प्रचार-प्रसार को समयबद्ध तरीके से शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करने की अपेक्षा करती है । अब तक उठे कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों को कुछ राज्यों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों का अनुपालन न करने पर तुरंत संबोधित किया जाना चाहिए।इस संबंध में समिति इस बात पर बल देना चाहेगी कि आंकड़ों की विश्वसनीयता के निरंतर पर्यवेक्षण के लिए एक सक्रिय प्रबंधन सूचना प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए ।

उत्तर:

सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना के समर्थन की समीक्षा की गई और लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत लाया गया । योजना वर्ष 2016-17 तक के लिए अनुमोदित है । इस अवधि के समाप्त होने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ले ली जाएगी । सांख्यिकीय प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को तकनीकी व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी । केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों (सीओसीएसएसओ) का एक सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है । यह एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और सांख्यिकीय क्षमता को सुधारने तथा राज्य स्तर पर विश्वसनीय

सरकारी सांख्यिकी के एकत्रीकरण, संकलन तथा प्रचार-प्रसार के लिए सांख्यिकीय प्रणालियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी रहेंगे ।

7. **समिति ने यह नोट किया है कि अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा में ज्यादा से ज्यादा 713 रिक्तयां हैं, जिनमें से 622 रिक्तियां क्षेत्र कार्य प्रभाग में हैं । इतनी अधिक संख्या में रिक्तियों को देखते हुए, विशेषतया इतने बडे स्तर पर, समिति चिंतित है कि एनएसएसओ द्वारा आयोजित प्रतिदर्श सर्वेक्षण अधिकांशत: संविदा आधार पर लगे कार्मिकों के माध्यम से आयोजितकिए जा रहे हैं, जिनका सामयिकता, कवरेज, सटीकता, विश्वसनीयता तथा एकत्र किए गए आंकड़ों की संपूर्ण गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है । यह मानना होगा कि अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा और तकनीकी रूप से योग्य मानव शक्ति की कमी मंत्रालय के समक्ष एक गंभीर मुद्दा है । अत: समिति यह सुझाव देती है कि क्षेत्रीय स्तर पर इतनी अधिक जनशक्ति की कमी से मंत्रालय को उबारने के लिए सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाने चाहिएं ताकि क्षेत्रीय सांख्यिकी का विश्वसनीय चयन व समेकन प्रभावित न हो । अतएव, क्षेत्रीय कार्मिकों को बेहतर कार्य परिस्थितयां उपलब्ध कराई जाएं । क्योंकि इसका सीधा असर आंकड़ों के एकत्रीकरण प्रसंस्करणऔर प्रचार-प्रसार की गुणवत्ता व सटीकता से है । यदि आवश्यक हो, अंतरिम रूप से, एनएसएसओ के पर्यवेक्षण में निजी एजेंसियों को भी इस कार्य के लिए लगाया जा सकता है । समिति यह भी सिफारिश करती है कि रा.सां.प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी में नियमित संकाय सदस्यों और सहयोगी कार्मिकों की कमी पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बेहतर निष्पादन हो सके ।**

उत्तर:

अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा(एसएसएस) में जनशक्ति की कमी और दिनांक 01.05.2016 को उनकी स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	ग्रेड	स्वीकृत	पदेन	रिक्त
1.	वरिष्ठसांख्यिकीअधिकारी	1756	1555	201
2.	कनिष्ठसांख्यिकीअधिकारी	2196	1822	374
	कुल	3952	3377	575

(i) एसएससीनेसंयुक्तस्नात्तकीयपरीक्षा (सीजीएलई) 2014 केमाध्यमसे 381 अभ्यर्थियोंकोकनिष्ठसांख्यिकीअधिकारीकेपदकेलिएसंस्तुतकिया।एसएससीसेसारे 381 डोजियरप्राप्तकरलिएगएहैं ।नियुक्तिपूर्वकीऔपचारिकताएंपूरीकरनेकेबाद,दिनांक17 मार्च 2016 को 299 नियुक्तिप्रस्तावजारीकियेगएहै।

(ii) ऐसेहीइसमंत्रालयकेदिनांक 9 दिसम्बर, 2016 केआदेशसंख्या 12016/1/2014-एसएसएसकेमाध्यमसे 82 कनिष्ठसांख्यिकीअधिकारियोंकोहालहीमेंवरिष्ठपदाधिकारियोंकेरूपमेंपदोन्नतकियागयाहै।

(iii) इसमंत्रालयकेसम्मिलितप्रयासोंसे,जिसमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथकनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों को वरिष्ठ सांखियिकी अधिकारी में पदोन्नतितथाकर्मचारीचयनआयोगद्वारामनोनीतकनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएससी) कीनियुक्ति/तैनाती,जेएसओतथाएसएसओकीरिक्तियांस्वीकृतसंख्यासे14.5%तकबडेपैमाने परकमहुईहैं।

(iv)

यहलेखहैकिआंकड़ासंग्रहणकीकठिनप्रवृत्तितथाकेन्द्रकीअन्यग्रूप'बी'सेवाओंकीतुलनामेंक मग्रेडपेहोनेकीवजहसेअभ्यर्थीएसएसएसमेंभर्तीहोनेमेंकमप्रवृत्त होते हैं ।वित्तमंत्रालयसे कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का ग्रेड पे केन्द्रीयउत्पाद-शुल्क निरीक्षक,सीमा शुल्क तथाआयकरकेसहायकों के अनुरूप 4200 रु.से 4600 रू.मेंअपग्रेडकरनेकाअनुरोधकियागयाहै।परन्तुइस परसहमतीनहींबनी।तथापि,सांख्यिकीऔरकार्यक्रमकार्यान्वयनमंत्रालयनेइसमुद्देकोइसमंत्रालयकेआई.डी.पत्रसंख्या 12035/02/2010-एसएसएसके तहत सचिवों की समिति (सीओएस) केसमक्षप्रस्तुतकियागया,जिसेबादमेंइसमंत्रालयकेदिनांक 8/02/2013 केपत्र संख्या 12035/02/2010- एसएसएस केमाध्यमसेकेबिनेटसचिवकोअग्रेषितकियागया,तथापिसीओएसकानिर्णयप्रतीक्षितहै।अभी,यहमामलासातवेंसीपीसी तक भी उनकेविचारार्थ ले जाया गया है।

8. **समितिनेयहनोटकियाहैकिगणनाकेलिएआबंटनमेंलगातारगिरावटहोरहीहैक्योंकि छठी आर्थिक गणना के लिए राज्यों को सहायता अनुदान जारीनहीं किया जा सका और उनसे अगलीकिश्तोंकेलिएउपयोगप्रमाणपत्रतथामाँगोंकीअप्राप्तिकेकारणसंशोधित अनुमानस्तरपरघटादियागयाथा।इसलिएसमितिनेसिफारिशकीहैकिमंत्रालयराज्योंसेअगलीकिश्तोंकेलिएउपयोगप्रमाणपत्रवमांगेंसमयपरप्रस्तुतकरनेकेलिएकहेताकियोजनाकेलिएनिधिसमयपरजारीकीजासके।**

उत्तर:

आर्थिकगणनासमापनअवस्थामेंहै।अखिलभारतीयरिपोर्ट 31/3/2016 कोजारीकीजाचुकीहैतथाराज्यों/केन्द्रशासितप्रदेशोंकीरिपोर्टप्रगतिपरहैतथासंबंधितराज्य/केन्द्रशासितप्रदेशों कीसरकारोंद्वाराजून 2016 तकजारीकियेजानेकीसंभावनाहै।आगे,पिछलीजारीनिधिकेपूर्णउपयोगप्रमाणपत्रप्राप्तहोनेकेबादबिहारकोछोड़करसभीराज्यों/केन्द्रशासितप्रदेशोंकोआवश्यकनिधिजारीकरदीगईहै।बिहारको,उसेपूर्वजारीकिश्तोंकेउपयोग-प्रमाणपत्रकीअप्राप्तिके कारण निधिजारीकरनेमेंविलम्बहो रहा है ।सभीराज्यों /केन्द्रशासितराज्योंसेयथाशीध्ररिपोर्टजारीकरनेकातथाछठीआर्थिकगणनाकेअन्तर्गतबजटसमायोजनकरनेकाएवम्म्हालेखाकारकार्यालयद्वारालेखापरीक्षाकियेगयेव्ययविवरणकीएकप्रतिउपलब्धकरानेकाअनुरोध कियागयाहै।

9. **150**

करोड़रु.याउससेअधिकलागतवालीकेन्द्रक्षेत्रकीअवसंरचनापरियोजनाओंकीमॉनिटरिंगकेसम्बन्धमेंसमिति कीइच्छाहैकिलागतवृद्धितथाअधिकसमयवालेपहलूओंकोमंत्रालयकीवार्षिकरिपोर्टमेंस्पष्टतयाप्रस्तुतकिया जानाचाहिए।समितिआशाकरतीहैकिमंत्रालयद्वाराइनलंबितपरियोजनाओंपरतैयारमासिक/पाक्षिकरिपोर्ट विस्तृतएवम्व्यापकहोताकिउनकाप्रशासनिकमंत्रालयोंतथाअन्यजरूरतमंदएजेंसियोंद्वाराउपयोगकियाजा सके।इससंदर्भमेंसमितिसिफारिशकरेगीकिसमसामयिकफ्लैगशिपकार्यक्रमजैसेशहरीस्वच्छता,स्वच्छभार तअभियान,वहनीयमकानआदिभीइनमासिकतथापाक्षिकरिपोर्टमेंशामिलकिएजाएंताकिसंबंधितमंत्रालय/ विभाग/एजेंसीइनकाप्रयोगकरसके।इससम्बन्धमेंकमिटीजोरदेनाचाहेगीकिराज्योंद्वाराउपलब्धकरवायेग येआँकड़ोंमेंविसंगतिसेसंबंधितमुद्देमंत्रालयद्वाराउचिततरीकेसेसंबोधितकियेजानेचाहिए।

उत्तर:

सांख्यिकीवकार्यक्रमकार्यान्वयनमंत्रालय (एमओएसपीआई) 150 करोड़तथाउससेअधिकरुपयेकीसमय वृद्धिवलागतवृद्धिवालीकेन्द्रीयक्षेत्रअवसंरचनापरियोजनाओंकापरियोजनाकार्यान्वयनएजेंसियोंद्वारादीगई सूचनाओंकेआधारपरदेखरेखकरतीहै।दिनांक 1 मई 2016 तकसांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय केमॉनिटरपर 1061 केन्द्रीयक्षेत्रकीजारीपरियोजनाएँहै।इनमेंसे 241 परियोजनाएंलागतवृद्धि दर्शाती है तथा 326 परियोजनाएंसमयवृद्धिदर्शातीहैतथा 70 परियोजनाएँसमयवृद्धितथालागतवृद्धि,दर्शातीहै।

समयवृद्धितथालागतवृद्धिवालीकेन्द्रीयक्षेत्रकीपरियोजनाओंकीमंत्रालयद्वारातैयारमासिकतथापाक्षिकरिपो र्टपर्याप्तविस्तृततथाव्यापकहै।लागतवृद्धितथासमयवृद्धिसेसंबंधितविस्तृतस्थितियांमंत्रालयकीवार्षिकरिपो र्टमेंनियमितरूपसेप्रकाशितकीजातीहै।

जहाँतकसामयिकफ्लैगशिपकार्यक्रमयथा-

शहरीस्वच्छता,स्वच्छभारतअभियान,सभीकेलिएसस्तेमकानआदिकेकार्यान्वयनकोशामिलकरनेकेलिए,

मासिक/तिमाहीरिपोर्टकासंबंधहै,यहउल्लेखनीयहैकिसामाजिकफ्लैगशिपकार्यक्रमों/योजनाओंकेकार्यान्वय नकीस्थितिकीनिगरानीकेलिएआईपीएमडीबाध्यनहींहै।

10.

तथापि,एमपीलैड्सकेविषयकीजाँचएकअलगसंसदीयसमितिद्वाराकीगईहै,इसतथ्यकोदेखतेहुएमंत्रालयकालगभग 94%व्यय (3,950 करोड़रु.) इसमहत्वपूर्णयोजनाकेलिएचिह्नितकरदिए गएहैं।यहआवश्यकहैकिएमपीलैड्ससंबंधीपरेशानकरनेवालेकुछमामलोंपरथोड़ीचर्चाकीगईहैतथाउनपरसुधारात्मककदमउठानेकासुझावदियागयाहै।तदनुसारसमितिसुझावदेतीहैकियोजनाबद्धदिशा-निर्देशोंमेंबार-बारबदलावकरनेसेबचनाचाहिए।निधियोंकोजारीकरनेकेलिएमंत्रालयकोराज्योंकोसमयपरउपयोगिताप्रमाण पत्रप्रस्तुतकरनेकेलिएराजीकरनाचाहिएताकिएमपीलैड्सकेअंतर्गतचालूपरियोजनाएँयथाशीघ्रपूरीकीजासके ।जहाँखर्च ना की गई एमपीलैड्सनिधियाँजिलाप्राधिकारीकोजारीकरनीहैतथासंसदसदस्योंद्वाराप्रयुक्तनिधियोंसेप्राप्तब्याज,जबभीअपेक्षितहो,वहाँसमितिमंत्रालयकोउचितस्तरपरमामलेकोआगेबढ़ानेकाभीअनुरोधकरतीहै।निधियाँजारीकरनेमेंएकवर्षकाबैकलौगइसयोजनाकेतहतनजरअंदाजकरदियाजाताहै,अतःयहसुनिशिचितकरनाचाहिए किसमयपरनिधियाँजारीहों।कार्यकीगुणवत्तातथासमयपरकार्यनिष्पादनकीजाँचकीजाएकिक्याउपक्षेत्रीयअधिकारीसेएकस्तरनीचेकेअधिकारीपरियोजनाकोमंजूरीदेनेकेलिएसक्षमहैंतथाकलेक्टर/उपायुक्तकार्यकीनिगरानीकरसकताहै?इसप्रकारकेप्रतिनिधिमंडलद्वाराशीघ्रअनुपालनप्रभावशालीतरीकेसेसुनिश्चितकियाजा सकताहै।

उत्तर:

(i) संसदसदस्यों,राज्यों,जिलाप्राधिकारियोंआदि,सेप्राप्तफीडबैक,संसदीयसमितियोंसेप्राप्तसंस्तुतियों ,सलाहों,नियंत्रकएवंमहालेखापरीक्षक/पीएसीमेंप्राप्तसंस्तुतियोंतथासलाह,आंतरिकजाँचतथामंत्रालयमेंचर्चाआदिकेआधारएमपीलैड्सकीदिशा-निर्देशोंमेंसमय-समयपरसंशोधनकियाजाताहै।

(ii) अपेक्षितदस्तावेजयथा-लेखाप्रमाणपत्र,उपयोगिता-प्रमाणपत्रतथाउचितमासिकप्रगतिरिपोर्टसमयपरप्रस्तुतकिएजाएँ,इसकेलिएमंत्रालयजिलाप्राधिकारियोंतथासंबंधितराज्यमेंनोडलविभागोंकालगातारअनुसरणकरताहैताकिएमपीलैड्सनिधियोंकीलंबितकिश्तजारीकीजासके।

(iii) जारीकीगईनिधियोंतथामैक्रोएवंमाइक्रोस्तरपरकिएगएव्ययकीनिगरानीकरनेकेलिएमंत्रालयनेएकीकृतएमपीलैड्सवेबसाइटबनाईहै।इसई-पोर्टलप्रणालीसेजिलास्तरपरएककार्य-

प्रवाहप्रणालीविकसितहोगीजिसेमंत्रालयकीरिलीजप्रणालीसेजोड़ागयाहै।वास्तविकसमय-आधारपरनियमितरूपसेअद्यतनकियेजानेसेमंजूरीआदेशतथामासिकप्रगतिरिपोर्टस्वतःबनाईजा सकतीहै।इससेऑनलाइनमासिकप्रगतिरिपोर्टउपलब्धहोसकेगीतथानिधियाँसमयपरजारीकीजास केंगी।

(iv) एमपीलैड्सकीराज्यसभासमितिकीदिनांक 10.02.2016 कोहुईबैठकमेंमामलेपरविचार-विमर्शकियागया।माननीयसमितिकोयहसूचितकियागयाकिनोडलजिलोंकोजारी की जाने वाली निधियाँवित्तमंत्रालयकेसामान्यवित्तीयनियमावली(जीएफआर) के द्वारा शासितहोतीहैं।समितिकीएकमतरायथीकिजीएफआरकोयथासंभवलचीलाबनानेकेलिएवित्तमंत्रालयसेअनुरोधकियाजासकताहैताकिजिलाप्राधिकारियोंद्वाराउपयोगिताप्रमाणपत्रप्रस्तुतनहींकरनेके कारणएमपीलैड्सनिधियाँजारीकरनेमेंविलंबनहो।वित्तमंत्रालयसेयहअनुरोधकियागयाकिनिधियाँ जारीकरनेकेलिएउपयोगिताप्रमाणपत्रप्रस्तुतकरनेकीशर्तोंमेंछूटदेनेपरअपनीटिप्पणीदें। शर्तों में छूट दिए जाने पर उनकी सहमति नहीं है ।

(v) जिलाप्राधिकारियोंकेपासएकत्रितव्यय न की गई राशिसेबचनेकेलिएशर्तेंदीगईहैं।लेखापरीक्षानेबार-बारयहध्यानदिलायाहैकिजिलाप्राधिकारियोंकेपासएकत्रितव्यय न की गईराशिकमकीजानीचाहिए।

(vi) एमपीलैड्सकीदिशानिर्देशोंकेपैरा 3.12 केअनुसार,संस्तुतियोंकीप्राप्तिके 75 दिनोंकेअंदरकार्योंकीमंजूरीदेदेनीचाहिए,यदिइसेरद्दकियाजाताहै,या ऐसा कोई मामला है तोइसकीसूचनासंसदसदस्योंको 45 दिनोंकेअंदरदेनीचाहिए।दिशानिर्देशोंकेपैरा 3.13 केअनुसार,मंजूरीपत्रआदेशमेंकार्यपूराकरनेकीसमय-सीमाकाउल्लेखहोगा,जोसामान्यतःएकवर्षसेअधिकनहींहोगी।योजनाकाकार्यान्वयनशीघ्रकरनेके लिएउचितसमयसीमानिर्धारितकीगईहै।

(vii) जिलाप्राधिकारीतथाराज्यसरकारमेंनोडलविभागकार्यकीगुणवत्तासुनिश्चितकरेंगे।तथापि,कार्यकी गुणवत्ताकीस्वतंत्ररूपसेजाँचकरनेकेलिएमंत्रालयस्वतंत्रएजेंसियोंसेचुनिंदाजिलोंमेंएमपीलैड्सकार्य कीतीसरीपार्टीद्वारावास्तविकनिगरानीकरासकतीहै।एमपीलैड्सकेदिशा-निर्देशोंकेपैरा 3.3 केअनुसारजिलाप्राधिकारीकार्यनिष्पादनकेमामलेमेंसंबंधितराज्य/संघराज्यक्षेत्रसरकारस्थापितकार्यजाँच,तकनीकी,कार्यअनुमान,निविदातथाप्रशासनिकप्रक्रियाकाअनुसरणकरेगातथाइसकेकार्योंके

प्रभावीकार्यान्वयनसमयपरसुनिश्चितकरनेकेलिएभीजिम्मेदारहोगी।यहराज्यसरकारपरनिर्भरकर ताहैकिएमपीलैड्सयोजनाजिलाकलेक्टरद्वारायाअधीनस्थअधिकारियोंद्वारा कार्यान्वितकीजाए।